an>

Title: Introduction of the Population (Stabilisation) Bill 2017.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार)ः मैं प्रस्ताव करता हूं कि महिलाओं के लिए विवाह हेतु न्यूनतम आयु को अठारह वर्ष से बढ़ाकर इक्कीस वर्ष करने तथा दो बच्चों के मानक और बच्चों के बीच में पर्याप्त अंतर रखने को प्रोत्साहन देने की योजनाओं की देख-रेख करने के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण प्राधिकरण की स्थापना करने, दत्तकग्रहण को प्रोत्साहन देने, ग्रामों में मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करने, किसी परिवार के लिए संतान पैदा करने के लिए कतिपय न्यूनतम मानक नीतियां बनाने और तत्संगत या उसके आनुÂषंगिक विषयों को उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष ः प्रश्न यह है ः

> "कि महिलाओं के लिए विवाह हेतु न्यूनतम आयु को अठारह वर्ष से बढ़ाकर इक्कीस वर्ष करने तथा दो बच्चों के मानक और बच्चों के बीच में पर्याप्त अंतर रखने को प्रोत्साहन देने की योजनाओं की देख-रेख करने के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण प्राधिकरण की स्थापना करने, दत्तकग्रहण को प्रोत्साहन देने, ग्रामों में मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना करने, किसी परिवार के लिए संतान पैदा करने के लिए कतिपय न्यूनतम मानक नीतियां बनाने और तत्संगत या उसके आनुÂषंगिक विषयों को उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

-

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंकः मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

(ii) Victims of Acid Attack, Sexually Abused and Trafficked Girls and Women (Compensation and Rehabilitation) Bill, 2017*